न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या :– 59/2024

नंदलाल मुतबन्ना भुवाना(प्राकृतिक पिता किशना) जी जाति ओड आयु बालिग पेशा खेती निवासी जूना जावदिया तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ राज. ......प्रार्थी

बनाम

1. मोहनीबाई पिता नानूराम जी जाति ओड आयु बालिग पेशा काश्त निवासी जूना जावदिया हा.मु. पति हीरालाल ओड निवासी बाण्डा ग्राम पंचायत केलजर तहसील व जिला–चित्तौड़गढ़ राज.
2. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूं, तहसील कार्यालय बेगूं, जिला–चित्तौड़गढ़ राज. .... विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री अशोक कुमार
अधिवक्ता प्रार्थीया
श्री सत्यनारायण भांबी
अधिवक्ता विपक्षीया

आदेश दिनांकः–30.06.2025

निर्णय प्रार्थनापत्र अतंर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः– यह कि उक्त उनवानी प्रकरण में वादी–प्रार्थी ने एक वादपत्र अंतर्गत धारा 88,188 का न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके तथ्य इतने ठेस व सत्याधारित हैं जो अवश्य ही वादी–प्रार्थी के पक्ष में डिक्री होगा लेकिन मूल वाद के अंतिम निस्तारण में समय लगेगा तब तक विपक्षी संख्या एक को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान में पेश है।

यह कि मौजा ग्राम जावदिया जूना प.ह.अनोपपुरा तहसील बेगूं में प्रार्थी के पारिवारीक हिस्से व कब्जे काश्त की पैत्रिक संयुक्त खातेदारी की भूमि संवत 2078 के जमाबंदी राजस्व रेकार्ड मे दर्ज स्थित हैं जिसका विवरण इस प्रकार हैं :–

खाता	सं.आराजी सं.	रकबा हैं.
41	92	1.5370 हे.
	93	0.3560 हैं.
	94	0.4620 हे.
	95	0.0240 हैं.
	96	1.2140 हैं.

कुल कीता 5 कुल रकबा 3.5930 हैं.

यह कि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः–

जयराम

भुवाना । किशना

। ।

नंदलाल नंदलाल देवा बालीबाई हीरीबाई मांगीबाई प्रेमबाई

गोदपुत्र गोद गया

यह कि भुवाना जी मेरे पिता के बड़े भाई थे इनकी शादी सोनीबाई के साथ हुई थी सोनीबाई के बुत्फे से कोई जाइन्दा औलाद पैदा नही हुई थी जिससे सोनीबाई के जीवितावस्था मे ही उसकी सहमति मुझ प्रार्थी के गोदपिता भुवानाजी ने दुसरी पत्नी नन्दुबाई को नाते लाये थे तथा नन्दुबाई की शादी पूर्व में नानूराम जी ओड निवासी बच्चाखेड़ी तहसील रामपुरा म.प्र. के साथ हुई थी जिसकी 6

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

बताने की जिसमें से सबसे छोटी बेटी मोहनीबाई व नन्दुबाई अपने साथ लायी थी तब मोहनीबाई की आयु 8 वर्ष की ।

यह कि मुझ प्रार्थी के गोद पिता भुवाना मेरे प्राकृतिक पिता के बड़े भाई थे जिनकी मृत्यु करीब 25-30 साल पहले हो गई थी जिनकी रोवा चाकरी व इलाज वगैराह भी हमने ही कराया और उनके कोई जाइन्दा लड़का लड़की नही होने से मुझ प्रार्थी के पिता के पगड़ी का दस्तुर किया गया था तथा मेरे गोद पिता की शादीशुदा पत्नी नन्दुबाई के स्वर्गवास से 2-3 साल पूर्व ही शादीशुदा पत्नी का स्वर्गवास हो गया था जिसका भी सभी सामाजिक रीति रिवाजानुसार किर्याकर्म भी मुझ प्रार्थी ने किया था इतना ही नही मोहनीबाई की शादी भी हमने ही की थी । क्योंकि मोहनीबाई का यहां पर कोई प्राकृतिक पिता नही था मोहनीबाई मुझ प्रार्थी के गोद पिता भुवानाजी के नातायत पत्नी नन्दुबाई के साथ अन्य व्यक्ति के नुत्फे से उत्पन्न होकर साथ आई थी जिसका मुझ प्रार्थी की पैत्रिक संपति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार कोई हक-हिस्सा निहित नही हैं । लेकिन विपक्षी संख्या एक ने राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत करके राजस्व रेकार्ड में अपना नाम अंकित करा लिया हैं तथा अपने नाम मात्र होने के आधार पर विपक्षी संख्या एक किसी अन्य दिगर व्यक्ति को प्रार्थनापत्र वर्णित पैत्रिक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि को बेचान कर खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है जिसका कानूनन एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार विपक्षी संख्या एक कोई अधिकार प्राप्त नही है। इस प्रकार प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है।

यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित मौजा जावदिया जूना प.ह.अनोपपुरा तहसील बेगूँ की कृषि आराजीयात मुझ प्रार्थी की पैत्रिक कृषि भूमि होकर उक्त भूमि पर पारिवारिक समझौते अनुसार बंटवाडा कर उक्त भूमि के कुल रकबे में से 1/2 हक-हिस्से की भूमि गोद पिता भुवाना के हक-हिस्से की भूमि पर मैं प्रार्थी निरंतर निर्बाध रूप से काबीज होकर नन्दुबाई की जीवितावस्था से ही मैं प्रार्थी भुवाना जी के गोदपुत्र के रूप में काबीज हो उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ । कानूनन विपक्षी संख्या एक मोहनीबाई का ग्राम जावदिया जूना की भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा हैं और न ही यहां आती जाती हैं वह अपने सासूराल ही निवास करती हैं । लेकिन अन्य व्यक्तियो के बहकावे में आकर तथा भूमि के राजस्व रेकार्ड में उसका नाम मात्र अंकित होने के आधार खुर्द बुर्द करने पर आमादा हैं। इतना ही नही कानूनन भी संयुक्त अविभाजित कृषि भूमि को बिना विभाजन कराये हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नही हैं क्योकि संयुक्त अविभाजित कृषि आराजीयात में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर हक-अधिकार निहित होता है। यदि विपक्षी संख्या एक ने उक्त वर्णित भूमि को बिना विधिवत बंटवाडा कराये अन्य व्यक्ति को रहन,बेचान कर कब्जा सौंप दिया तो प्रार्थीको भारी अपूर्णीय क्षति हो जायेगी जिसका मूल्यांकन अर्थ में किया जाना भी संभव नही होगा तथा विपक्षी संख्या एक को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने में उसे कोई हानि नही होगी क्योकि जबकि जब तक विधिवत बंटवाडा नही हो जाता तब तक स्ट्रेंजर व्यक्ति किसी प्रकार से भूमि क्रय नही कर सकता और ना ही कब्जा कर सकता हैं । इस प्रकार सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि मुझ प्रार्थी की पैत्रिक संयुक्त खातेदारी की अविभाजित होकर अन्य किसी भी व्यक्ति को केवल मात्र म्युटीशन प्रोसिडिंग ईज नोट ए रेकार्ड ऑफ राईट्स बल्कि मिस्लीयंस कार्यवाही हैं जिसके आधार पर विपक्षी संख्या एक का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अंकित होने के आधार पर अन्य किसी भी व्यक्ति को बेचान करने का कानूनन अधिकार प्राप्त नही हैं इतना ही नही विपक्षी संख्या एक मोहनीबाई हमारे परिवार की जाइन्दा वंशज नही हैं क्योकि यह मुझ प्रार्थी के गोद पिता भुवाना जी की नातायत पत्नी नन्दुबाई के साथ अन्य व्यक्ति के नुत्फे से उत्पन्न होकर गेलड़ के रूप मे आई थी जिसका हमारी पैत्रिक संपति में कानूनन किसी प्रकार कोई अधिकार निहित नही है। इसलिये विपक्षी संख्या एक को बिना बंटवाडा कराये प्रार्थनापत्र वर्णित भूमि को किसी प्रकार से रहन,बेचान ,हस्तांतरित नही किये जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाना न्यायहित में आवश्यक है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमा विपक्षी संख्या एक को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि विपक्षी संख्या एक मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक प्रार्थनापत्र वर्णित उक्त अविभाजित पारिवारीक पैत्रिक कृषि आराजीयात को किसी भी प्रकार से किसी भी अजनबी व्यक्ति को एक इंच भूमि रहन, बेचान, विक्रय आदि तरीके से हस्तांतरित नहीं करें करावें। साथ मे शपथपत्र पेश हैं।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया का प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीया की एक तरफा बहस को सुना जाकर प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित अंतरिम आदेश जारी किया गया :-

'' अतः विपक्षीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 09.12.2024 तक पाबन्द किया जाता है कि आप मौजा जावदिया जूना प.ह. अनोपपुरा तहसील बेगूँ की आराजी संख्या 92, 93, 94, 95 व 96 कीता-5 कुल रकबा 3.5930 हैक्टर भूमि के मौके की एवं रिकोर्ड की यथास्थिती बनाए रखें। जो भी जवाब रखते हो हमारे समक्ष दिनांक 09.12.2024 को उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।''

इस प्रार्थना पत्र पत्रावली में विपक्षीया की ओर से मूल वाद पत्रावली में अधिवक्ता श्री सत्यनारायण भांवी द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्ततु कर जवाब में निवेदन इस प्रकार किया गया है कि वर्णित कृषि आराजीयात ग्राम जावदिया जूना पटवार मण्डल अनोपपुरा में होना स्वीकार है। प्रार्थना में जो पारिवारिक सजरा अंकित किया गया है वह गलत है, वास्तवित सजरा निम्न प्रकार है:-

जयराम फोत

भुवाना फोत — किशना फोत

भुवाना फोत: सोनीबाई फोत पत्नी, नन्दुबाई फोत(पत्नी)

नन्दुबाई फोत(पत्नी): मोहनीबाई पुत्री

किशना फोत: नंदलाल, देवा, वालीबाई, हीराबाई, मांगीबाई, प्रेमबाई

यह कि प्रार्थना पत्र में कपोल कल्पित कथन किया है। प्रार्थी ने कभी भी सोनीबाई एवं नन्दुबाई के सेवा सुश्रुषा नहीं की है। मै विपक्षीया नन्दुबाई की जायन्दा पुत्री होने से एव प्रथम श्रेणी की वारिस होने से श्रीमान तहसीलदार साहब बेगूँ द्वारा धारा 135(2) के तहत जो नामान्तरण मुझ विपक्षीया के नाम खोले जाने का आदेश किया है उसकी अपील प्रार्थी द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त महादेय द्वारा दिनांक 06.08.2024 को खारिज की है तथा तहसीलदार साहब के आदेश को यथावत रखा है। मैं विपक्षीया एक मात्र नंदुबाई की संतान होकर वारिस हूँ।

प्रार्थी कभी भी भुवाना जी के पास नहीं रहा है न ही उनकी सेवा सुश्रुषा की है सेवा विपक्षीया एवं नन्दुबाई ने ही की है। प्रार्थी न मनगढन्त तथ्य अंकित किये है भुवाना जी की स्वर्गवास के पश्चात को पगडी दस्तूर प्रार्थी के नहीं किया गया, प्रार्थी आराजी को हडपने की नियत से खुद को स्व. भुवाना जी का दत्तक पुत्र बताते हुए वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र विपक्षीया को परेशान की नियत से प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। भुवाना जी एवं नन्दुबाई ने कभी भी प्रार्थी को अपना दत्तक पुत्र नहीं माना है, प्रार्थी फर्जी तरीके से दत्तक पुत्र बनना चाहता है तथा जमीन हडपना चाहता हैं। नन्दुबाई के स्वर्गवास पश्चात समस्त कियाकर्म विपक्षीया द्वारा सम्पन्न किये गये है तथा विपक्षीया का 1/2 हक हिस्सा निहित है। विपक्षीया स्वर्गीय भुवाना जी एवं नन्दुबाई की प्रथम श्रेणी की संतान वारिस होने से एवं उत्तराधिकारी होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया विपक्षीया के पक्ष में सिद्ध है।

यह कथन गलत है कि प्रार्थी एवं विपक्षीया के मध्य कोई पारिवारिक समझोता हुआ हो। ना ही कोई मौखिक बंटवाड़ा विपक्षीया व प्रार्थी के मध्य नहीं हुआ है। विपक्षीया का 1/2 हक हिस्सा निहत है एवं अपने हक हिस्से पर काबिज है जब कभी गोदपुत्र ही स्वीकार नहीं किया है फिर भी जबरन भूमि छीनने की गरज से अपने आपको गोदपुत्र प्रार्थी बता रहा हैं। विपक्षीया अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रही है तथा खातेदार काश्तकार है किसी भी खातेदार

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

...कार को किसी भी विधियाक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी ने गलत ... अंकित किये है। विपक्षीया अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग ... रही है इसलिए सुविधा का संतुलन भी विपक्षीया के पक्ष में है।

... पत्र कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने काफी कल्पित कथन अंकित किये है। विपक्षीया सहखातेदार होकर शामिल आराजीयात में 1/2 हक हिस्सा निहित है तथा ... मुयाना की एवं नन्दूबाई की प्रथम पत्नी की वारिस संतान है। विपक्षी के मन में बदनियति आ जाने से एवं विपक्षीया के हक हिस्से की भूमि हड़पने की नियत से यह प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र प्रस्तुत किया है। विपक्षीया सहखातेदार है तथा किसी भी सहखातेदार को किसी भी विधियाक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने योग्य है।

अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि विपक्षीया की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टिनेन्सी एक्ट का सव्यय खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में जवाब विपक्षीया की ओर से प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अधिवक्ता विपक्षीया द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 03क व 04 सपठित 151 जा0दी0 का प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पत्रावली में प्रस्तुत किया गया, हमारे द्वारा मूल प्रार्थना पत्र 212 राज0काश्त0अधि0 पर एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 03क व 04 सपठित 151 जा.दी. पर उभयपक्ष की बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई। हमारी विनम्र राय से जब मूल प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर उसका आदेश न्यायालय द्वारा किस प्रकार से निस्तारित किया जा रहा है तो पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना आदेश 39 नियम 03 व 04 जा.दी. का स्वतः ही निस्तारण हो जावेगा।

प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु मुख्य तीन बिन्दुओं पर निर्णय किया जाना होता है। हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत दस्तावेज के गुण अवगुण के आधार पर निम्न प्रकार से निर्णय किया जाता है:-

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :-

प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा जावदियाजूना प0ह0 अनोपपुरा के खाता संख्या 41 में दर्ज आराजी संख्या 92, 93, 94, 95 व 96 कीता-5 कुल रकबा 3.5930 हैक्टर भूमि में विपक्षीया मोहनीबाई पुत्री मुयाना का हिस्सा 1/2 दर्ज है तथा अन्य सहखातेदारान का हिस्सा भी जमाबंदी में दर्ज होकर सभी सहखातेदार है। नक्शाट्रेस आराजी का प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा विपक्षीया को उनके परिवार की वंशज नहीं मानते हुए विपक्षीया मोहनीबाई मुयाना जी की नातायत पत्नी नन्दूबाई के साथ अन्य व्यक्ति के मुकें से उत्पन्न होकर मेलड़ के रूप में आई है जिसका कोई अधिकार निहित नहीं है। अधिवक्ता विपक्षीया ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि विपक्षीया के पक्ष में खोले गये नामान्तरण के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील माननीय संभागीय आयुक्त के न्यायालय में की थी जो खारिज की गई है, विपक्षीया मोहनी मुयाना की प्रथम पत्नी की वारिस है, एक आदमी दो जगह की जमीन नहीं ले सकता है। वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत अनोपपुरा द्वारा जयराम का सजरा व मौका पंचनामा की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसमें अंकित है कि नन्दूबाई के पति की आकस्मिक मृत्यु उपरान्त उसका पुनर्विवाह ग्राम जूना जावदा में श्री मुयाना ओड के साथ हुआ था नन्दूबाई पुनर्विवाह के समय अपनी पुत्री मोहनीबाई तत्कालीन उम्र ... वर्ष को अपने साथ ग्राम जूना जावदिया ले गई तब से मोहनीबाई अपने माता नन्दूबाई के साथ ग्राम में निवासी कर रही है। नकल जमाबंदी मौजा जावदिया जूना की सम्वत 2043 से 52 तक में वर्णित आराजी संख्या 92, 93, 94, 95 व 96 कीता-5 कुल रकबा 3.5930 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री मुयाना पिता जयराम ओड निवासी पटवला हाल जावदिया जूना खातेदार अंकित है। इसी प्रकार संवत 2053 से 56 की जमाबंदी में भी मुयाना खातेदार अंकित होकर जमाबंदी में नोट नामा0सं0 104 दिनांक 12.04.96 से श्री मुयाना की जगह श्रीमति सोनीबाई नन्दूबाई बेवा मुयाना के नाम दर्ज की स्वीकृति हुई तथा नामा0सं0 108 दिनांक 5.11.96 से खाता श्रीमति सोनीबाई नन्दूबाई बेवा मुयाना विभाजन पिता जयराम के नाम दर्ज होना का नोट अंकित है।

तहसीलदार
(सहायक कलेक्टर)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

पत्रावली में तहसीलदार बेगूँ द्वारा विपक्षीया के पक्ष में खोले गये नामान्तरण आदेश दिनाक 02.03.2017 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। निर्णय में अंकित किया है कि गवाह द्वारा बताया गया है कि मोहनीबाई एकमात्र पुत्री नन्दुबाई की है, किशना को भुवाना के गोद रखा हो ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, मोहनीबाई नन्दुबाई की पुत्री होकर इनकी शादी भी भुवाना ने ही की थी। भुवाना ने कोई वसीयतनामा नंदलाल के पक्ष में ना ही गोदनामा नहीं लिखा है। भुवाना मोहनीबाई के अलावा कोई और औलाद नहीं है। मोहनीबाई को ही भुवाना की एकमात्र वारिस मानते हुए नामान्तरण खोला गया है। खोले गये नामान्तरण के विरूद्ध अपील भी माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में की गई जो खारिज की गई प्रार्थी द्वारा कोई द्वितीय अपील नहीं की है। प्रस्तुत दस्तावेज से प्रार्थी यह सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहे है कि विपक्षीया मोहनीबाई एक गेलड पुत्री थी। साथ ही प्रार्थी के पक्ष में गोदपुत्र होने का कोई दस्तावेज भी इस प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, प्रार्थी किशना का पुत्र है जिनका नाम किशना जी की सम्पत्ति दर्ज किया गया है,प्रार्थी गोदपुत्र है अथवा नहीं उनका भुवाना की संपति में अधिकार है अथवा नहीं यह सभी तथ्य मूलवाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णित किया जावेगा। चूँकि विपक्षीया एक सहखातेदार होकर भुवाना की एकमात्र वारिस है, किसी भी खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

सुविधा का संतुलनएवं आर्थिक क्षति :-

प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा जावदियाजूना प0ह0 अनोपपुरा के खाता संख्या 41 में दर्ज आराजी संख्या 92, 93, 94, 95 व 96 कीता-5 कुल रकवा 3.5930 हैक्टर भूमि में विपक्षीया मोहनीबाई पुत्री भुवाना का हिस्सा 1/2 दर्ज है एवं अन्य सहखातेदारान के साथ खातेदार होकर अपने निहित हक हिस्से पर काविज होकर काश्त कर रही है, यदि विपक्षीया को निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है, तो विपक्षीया को अपूर्णनीय क्षति होती है। चूँकि विपक्षीया खातेदार एवं कब्जेदार होने से सुविधा का सन्तुलन भी विपक्षीया के पक्ष में सिद्ध है। यदि विपक्षीया खातेदार को पावंद किया जाता है तो निश्चित ही विपक्षीया को आर्थिक क्षति होगी जवकि प्रार्थी को कोई क्षति नहीं होती है। इस प्रकार अपर्णनीय क्षति होने का विन्दु भी विपक्षीया के पक्ष में ही सिद्ध होता है।

प्रार्थना पत्र में विपक्षीया एक सहखातेदार तथा प्रार्थी गोदपुत्र है अथवा नहीं यह तथ्य मूलवाद में निर्णित होना है साथ ही विपक्षीया भुवाना की एक मात्र संतान होने से भुवाना की सम्पत्ति में उनका अधिकार है तथा विपक्षीया गेलड पुत्री थी अथवा नहीं इस तथ्य को मूलवाद मे दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध होगा। साथ ही किसी सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सिद्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.06.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनसी मीणा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ